

2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर अ-अर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प अ-अर

आदेश :-

प्रार्थी के "खाता डुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं परवारी कामिगपुरा व भू.अ.नि. वगड

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार अ-अर /नायब तहसीलदार अ-अर की अनुशंसा के आधार

राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कामिगपुरा तहसील अ-अर व

जिला अ-अर की जमाबन्दी सम्वत् 2024-77 में खाता संख्या 123 में वर्तमान में

दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्धिकरण जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कामिगपुरा	123	चावली पति - कुलाराठ - मंजूपुरी कुलाराठ - मतेन्दु पुर कुलाराठ - रेशमी पुरी कुलाराठ - रशीपुठ कुलाराठ - सन्तोषे पुरी कुलाराठ - सुनिता पुरी कुलाराठ	चावली पति - कुलाराठ - मतेन्दु - संदीप - मंजू - रेशमी - सन्तोषे - सुनिता

प्रभारी अधिकारी जिविर
पीठासीन अधिकारी
पंजाब लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 76

दिनांक :- 30/5/22

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार अ-अर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर

पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री चावली वगड को सूचनाएं।

3. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी जिविर
पीठासीन अधिकारी
पंजाब लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी अ-अर